भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4812

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नामांकित व्यक्ति

†4812. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और कर्नाटक राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की मौजूदा बीमा कवरेज सीमा को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की इस योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय जीवन रक्षक प्रक्रियाओं और प्रत्यारोपणों को शामिल करने की कोई योजना है जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है; और
(ङ.) क्या देश के कतिपय राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत संशोधित पैकेज दरों को नहीं अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): 28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत देशभर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर्नाटक राज्य में सृजित किए गए 2.14 लाख कार्ड सहित कुल 1.14 करोड़ आयुष्मान वय वंदना कार्ड सृजित किए गए हैं। कर्नाटक राज्य में सृजित किए गए कार्डों का जिला-वार विवरण https://dashboard.nha.gov.in/public/card पर देखा जा सकता है। इस योजना के तहत बीमा कवरेज सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग और पिछली बार जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को जारी की गई निधि का विवरण निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
2023-24	₹ 320.59
2024-25	₹ 513.32
2025-26 (दिनांक 15.03.2026) की स्थिति के अनुसार	₹ 537.73

इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में पाँच बार संशोधन किया जा चुका है। आरंभ में, इस योजना में 1391 पैकेज शामिल थें। नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) 2022 में अब 27 विशिष्टताओं के अंतर्गत 1961 पैकेज शामिल हैं। इन पैकेजों में कैंसर, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोगों जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के उपचार के साथ-साथ अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा और गुर्दा प्रत्यारोपण आदि जैसी उच्च स्तरीय प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

दिनांक 28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) 2022 को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवीनतम पैकेज मास्टर को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
